न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–33/2018/भीलवाड़ा (2018/00033)

1. रामदेव पुत्र नाथू, जाति धाकड़, नि0 काबरियां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर.

अपीलांट

बनाम

1. पोलू पुत्र रामकिशन, जाति धाकड़, नि0 काबरियां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मूडियाकलां, तह0 टोडारायसिंह ।
3. ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, मूडियाकलां, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।
4. तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

5. लालाराम पुत्र नाथू,
6. गोपी पुत्र नाथू,
7. रामचन्द्र पुत्र नाथू,
8. हगामी बेवा नाथू,
   जाति धाकड़, नि0 काबरियां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक दिनांक 27.2.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 2/2011.

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 एवं 3 अनुपस्थित ।
4. श्री महेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 5 से 8.

निर्णय

दिनांक :– 28.11.2018

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, टोडारायसिंह, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व अन्य खातेदारों द्वारा एक अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष ग्राम पंचायत, मूडियाकलां द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 384 दिनांक 20.6.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसके विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 16.11.2017 को स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 384 दिनांक 20.6.2010 को निरस्त कर तहसीलदार, टोडारायसिंह को पुनः जांच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया । उपखण्ड अधिकारी के आदेश विरूद्ध अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पोर्डेटस के द्वारा अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश पारित किये थे । न्यायालय हाजा द्वारा अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब किये जाने के बावजूद तहसीलदार, टोडारायसिंह ने निर्णय दिनांक 27.2.2018 को रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 384 दिनांक 20.6.2010 को निरस्त कर पोलू पुत्र रामकिशन, सीता पुत्री रामकिशन, श्योजी, हंसराज, प्रकाश पि0 बद्री, सोहनी, मन्ना पुत्रिया बद्री निवासी काबरिया के नाम मृतक लादू, करणा, बद्री पि0 नारायण के स्थान पर विरासत दर्ज करने का गैर कानूनी आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेट संख्या 1 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 उपस्थित । अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि तहसीलदार, टोडारायसिंह ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विचाराधीन है जिसमें अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब करने के आदेश प्रदान किये हुए है परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार ने अपीलांट एवं प्रर्फोमा रेस्पो0 को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार,

टोडारायसिंह ने उनके द्वारा दिय गये आदेश मौका पर्चा वारिसान की जांच बाबत् एकतरफा आदेश था जिसमें अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एव ंना ही अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 की उपस्थिति में मौका पर्चा बनाया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष विचाराधीन है तथा वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 31.1. 2017 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी जो दिनांक 8.11. 2017 को कन्फर्म की जाकर विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी जाकर ताफैसला मूल वाद कन्फर्म की हुई है इसके बावजूद तहसीलदार, टोडारायसिंह ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रभाव में रहते राजस्व रिकार्ड में फेरबदल किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि नामांतकरण की समरी कार्यवाही में किसी के हक अधिकारों का विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी तहसीलदार, टोडारायसिंह ने विधिक अनियमितता कारित करते हुए राजस्व वाद के विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 27.2.2018 अपास्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 745, 1355, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 310, आर0आर0टी0 2009 (2) पेज 816, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 990, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 1, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1051, 1139, आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 171, आर0आर0डी0 1994 पेज 590, 217, 215, 505 के न्यायकि दृष्टांत उद्धरित किये ।

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस मे कथन किया कि तहसीलदार, टोडारायसिंह ने तहसीलदार, केकड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट से लादू पुत्र नारायण का नाऔलाद फौत होना पाये जाने से लादू की विरासत उसके भाई के लड़के एवं लड़की के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित माना है । न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं होने से तहसीलदार, टोडारायसिंह ने उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के आदेश की पालना में बाद जांच अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2018 को पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट ने फर्जी तरीके से अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया है । नाथू नन्दा का पुत्र है जबकि फर्जी तरीके से लादू का पुत्र बनकर लादू के हिस्से की भूमि का नामांतकरण स्वंय के नाम खुलवा लिया था । नाथू पुत्र नन्दा द्वारा नन्दा की मृत्यु उपरांत नन्दा की भूमि स्वंय के नाम दर्ज करवा ली गई है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार

के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 पेज 936 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा नामांतकरण संख्या 384 दिनांक 20.6.2010 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने निर्णय दिनांक 16.11. 2017 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 पोलू की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 384 वाके ग्राम नारेड़ा तहसील टोडारायसिंह, जो लादू, करण, बद्री पि0 नारायण की विरासत बाबत् दिनांक 20.6.2010 को तस्दीक किया गया था, को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार टोडारायसिंह को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक लादू, करणा, बद्री पि0 नारायण, जाति धाकड़ निवासी काबरिया के जायज वारिसान की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विरासत दर्ज करने की कार्यवाही करे । उक्त प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार, टोडारायसिंह ने आदेश दिनांक 27.2.2018 को आदेश पारित कर पालू पुत्र रामकिशन, सीता पुत्री रामकिशन, श्योजी, हंसराज, प्रकाश पि0 बद्री, सोहनी, मन्ना पुत्रियां बद्री, जाति धाकड़, निवासी काबरियां के नाम मृतक लादू, करणा, बद्री पि0 नारायण के स्थान पर विरासत दर्ज करने के आदेश पारित किये है । अपीलांट का मुख्य कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब किया जा चुका था तथा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष विचाराधीन वाद में विवादित आराजियात बाबत् दिनाक 8.11.2017 को स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की गई थी इसलिये तहसीलदार को नामांतकरण की कार्यवाही को न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष विचाराधीन वाद के निर्णय तक स्थगित रखना चाहिये था । इस संबंध में अधी0न्याया0 व न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अधी0न्याया0 के प्रकरण पोलू बनाम रामदेव वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 16.11. 2017 से संबंधित पत्रावली तलब की गई थी तथा इसी प्रकार मूल नामांतकरण संख्या 384 दिनांक 20.6.2010 से संबंधित अभिलेख भी तहसीलदार से तलब किये गये थे । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार के समक्ष जवाब नोटिस दिनांक 27. 12.2017 को पेश कर न्यायालय हाजा में उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 16.11.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने तथा

न्यायालय हाजा द्वारा रिकार्ड तलब किये जाने बाबत् प्रस्तुत कर कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया है । अपीलांट के उक्त जवाब नोटिस के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि तहसीलदार, टोडारायसिंह को यह पूर्ण जानकारी थी कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील विचाराधीन है । यद्यपि तहसीलदार, टोडारायसिंह ने उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय दिनांक 16.11.2017 की पालना में दिनांक 27.2.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है किन्तु यह तथ्य भी निर्विवाद है कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमे न्यायालय हाजा द्वारा अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब किया गया गया था तथा उक्त संपूर्ण तथ्य की जानकारी तहसीलदार को थी परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार, टोडारायसिंह ने दिनांक 27.2.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात बाबत् पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 167/2017 विचाराधीन है जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र के तहत् 12.10.2017 को ताफैसला वाद यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है । तहसीलदार, टोडारायसिंह ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील तथा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद में स्थगन आदेश होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । तहसीलदार को उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने के उपरांत नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिये था किन्तु तहसीलदार ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । यद्यपि नामांतकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों को विनिश्चयन नहीं होता है किन्तु पक्षकारों के मध्य ओर अधिक वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े इसको मध्यनजर रखते हुए हम अपीलाधीन निर्णय में लिप्त आराजियात को पक्षकारान के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद के निस्तारण तक विवादित करार दिया जाना उचित समझते है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विवादित आराजियात को उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद के निर्णय तक विवादित करार घोषित किया जाना उचित समझते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 33/2018 (2018/00033) बउनवानी रामदेव बनाम पोलू वगैरह को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, टोडारायसिंह को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में लिप्त आराजियात बाबत् उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में

विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 167/2017 के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में लाल स्याही से विवादित होने का नोट अंकित करे तथा पक्षकारान के मध्य विचाराधीन राजस्व वाद में होने वाले निर्णय के अनुसार कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 28.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.29 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: